न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	फैसल दिनांक
104 / 2020	13.07.2020	08.12.2021

अनवान

बगदीराम पिता भेरूलाल धाकड उम्र वयस्क निवासी सुखवाडा तहसील भदेसर
.........वादी

।। बनाम ।।

1. घीसीबाई पुत्री बोतलाल धाकड उम्र वयस्क निवासी सुखवाडा तहसील भदेसर
2. भीमराज पिता बोतलाल धाकड उम्र वयस्क निवासी सुखवाडा तहसील भदेसर
3. शांतिलाल पिता बगदीराम धाकड उम्र वयस्क निवासी सुखवाडा तहसील भदेसर
4. सीताबाई पत्नि बगदीराम धाकड उम्र वयस्क निवासी सुखवाडा तहसील भदेसर
5. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
6. सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय चित्तौड़गढ़
7. उदयलाल पिता रामचन्द्र धाकड उम्र वयस्क निवासी सुखवाडा तहसील भदेसर

.........प्रतिवादीगण

वादपत्र खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा 88,89,188 राज0काश्त0अधिनियम,1955

उपस्थित – श्री प्रवीण जोशी वकील वादी
श्री नरेन्द्र सिंह पंवार वकील प्रतिवादीगण

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 रा0का0अधि0 का वाद ऑर्डर 7 नियम 1, 2 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सुखवाडा के साबिक आ0नं0 494 रकबा 2 बीघाा में वादी द्वार 60 बाई 115 फिट कुल 6900 वर्गफीट भूमि प्रतिवादी सं. 03 एवं 04 के पिता खातेदार बगदीराम से क्रय की जो राजस्व रेकार्ड में भी वादी के नाम अमल दरामद हुई। वादी द्वारा सब खातेदारो की सहमति से वादी के नाम उक्त खरीद किया गया रकबा आवासीय संपरिवर्तन करवा दिया गया लेकिन भूप्रबंधन अधिकारियो द्वारा उक्त साबिक आ.नं. 494 के नये आ.नं. 639 रकबा 0.12 हैक्टेयर, आ.नं. 640 रकबा 0.17 हैक्टेयर, आ.नं. 641 रकबा 0.20 हैक्टेयर बनाये गये। हाल आ.नं. 640 रकबा 0.17 हैक्टेयर,आ.नं. 641 रकबा 0.20 हैक्टैयर प्रतिवादीगण [illegible] दर्ज कर दिया और आ.नं. 639 रकबा 0.12 हैक्टेयर कृषि भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया। [illegible] नकल जमाबंदी साबिक,नवीन, नक्शा ट्रेस, आवासीय संपरिवर्तन का आदेश [illegible] की नकल संलग्न वाद पत्र है।

वादी ने उपरोक्त क्रयशुदा भूमि पर मकान बना कर अपने परिवार सहित [illegible] करता है लेकिन भूप्रबंध कर्मचारिया द्वारा वादी के खरीद किये [illegible] 0.06 हैक्टेयर र[illegible] बिलानाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

आराजी नं. 639 में दर्ज करते हुए राजस्व रेकार्ड में नये नक्शे में वादी के कब्जेशुदा मकान की जगह प्रतिवादीगण के आराजी को दर्ज कर दिया जबकि सेटलमेंट के दोरान भूप्रबंध अधिकारियो को पुरानी प्रविष्ठि को हि आगे दोहराना था मगर भू प्रबंध अधिकारियो ने अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर बिना किसी सक्षम आदेश के वादी द्वारा कय किये गये 0.06 हैक्टेयर भूमि को बिलानाम दर्ज कर नक्शे में भी परिवर्तन कर दिया है जिससे वादी उक्त रकबे 0.06 हैक्टेयर भूमि को पुनः अपनी खातेदारी में दर्ज करा नक्शे में दुरूस्ती कराने का अधिकारी होने से यह वाद पत्र बाबत खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया है।

दौराने सेटलमेंट भू प्रबंध अधिकारियो ने वादी के कय किये गये रकबे 0.06 हैक्टेयर भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम आ.नं. 639 में दर्ज कर प्रतिवादीगण के हाल आराजी नं. 640 को वादी के कब्जेशुदा मकान के यहां नये नक्शे में दर्शा दिया। उक्त परिवर्तन की आड में प्रतिवादीगण वादी को उसके द्वारा कय की गई भूमि से बेदखल कर कब्जा छिनने पर आमादा हो रहे है इसी नियत से वादी के उपयोग उपभोग में दखलंदाजी कर रहे है जिससे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण भू प्रबंध अधिकारियों द्वारा की गई उक्त त्रुटि की आड में वादी को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल कर कब्जा नहीं छिने एव कय की गई भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे ना किसी नौकर, एजेंट,परिवारजन आदि से करावे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी पक्ष वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण पारित फरमावे।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम सुखवाडा तहसील भदेसर में स्थित आराजी नम्बर 640 रकबा 0.17 हैक्टेयर में से 0.06 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम व हाल आ.नं. 639 रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में घोषित की जाकर कब्जे एवं मौके के अनुसार राजस्व रेकार्ड के नक्शे में भी दर्ज किये जाने की इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री फरमावे। एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादी को वादग्रस्त अराजीयात से बेदखल नहीं करे ना हि किसी अन्य से करावे एवं विवादित आराजीयात किसी अन्य को आवंटित नहीं करे एवं ना किसी प्रकार की दखलंदाजी करे ना किसी अन्य से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सिंह पंवार ने पावर पेश किया। बरोज पेशी दिनांक 02.09.2021 को उदयलाल पिता रामचन्द्र धाकड निवासी सुखवाडा ने आदेश 01 नियम 10 जा0दि0 के तहत प्रार्थना पत्र बाबत पक्षकार कायम किये जाने हेतु जरिये अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह पंवार के प्रस्तुत किया जाकर उदयलाल पिता रामचन्द्र धाकड को पक्षकार बनाया गया। जिसकी प्रति वकील वादी को उपलब्ध कराई गई। तहसीलदार भदेसर से कमीश्नर रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/21 दिनांक 29.11.2021 से प्राप्त [illegible] ग्राम सुखवाडा प0ह0 सुखवाडा की आराजी नम्बर 639 एवं 640 [illegible] एवं वर्तमान रेकार्ड व कब्जे संबंधी कमीश्नरी रिपोर्ट हेतु वादी एवं प्रतिवादीगण की [illegible] मौका एवं राजस्व रेकार्ड की जांच की गई जो निम्नानुसार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

1. ग्राम सुखवाडा की गत आराजी नं. 494 रकबा 2 बीघा के नवीन भू प्रबंध में आ.नं. 639 रकबा 0.12 हैक्टेयर, आ.नं. 640 रकबा 0.17 हैक्टेयर, आ.नं. 641 रकबा 0.20 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.49 हैक्टेयर कायम हुए।
2. गत आराजी 494 में से वादी एवं प्रतिवादी बगदीराम द्वारा 11 बिस्वा कृषि भूमि का संपरिवर्तन आदेश क्रमांक/कृ.भू.रू./2001/1 दिनांक 18.10.2001 से होकर नवीन रकबा आराजी नं. 639 रकबा 0.12 हैक्टेयर कायम हुआ जो वादी एवं प्रतिवादी बगदीराम के फौत होने से बगदीराम पिता भेरूलाल 1/2 शांतिलाल पिता बगदीराम सीताबाई पत्नि बगदीराम 1/2 धाकड सा.देह के नाम दर्ज हेतु प्रस्तावित है।
3. वादी एवं प्रतिवादी का कब्जा मौके अनुसार संलग्न तरमीम ट्रेस अनुसार होकर नक्शे में आराजी नम्बर की शुद्धि अपेक्षित है। आदेशानुसार फर्द पर्चा मौका व प्रस्तावित जमाबंदी की प्रविष्ठि की सूची व नक्शा ट्रेस प्रस्तावित अनुसार संलग्न किया है।

लायक अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी जिन्होनें वाद वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि राजस्व व भू–प्रबंध अधिकारियों की गलती से वादी की खातेदारी से विलोपित भूमि पुनः वादी की खातेदारी में दर्ज कराई जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अधोपरान्त, कमीश्नर रिपोर्ट का अवलोकन किया गया विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर न्यायालय वादी के कथन एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से सहमत है,वकील वादी के कथन से सहमत है। अतः वाद स्वीकार किया जाना उचित मानते है।

उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आलोक में प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 के अंतर्गत कन्नौज शिविर में वाद वादी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है कि कि वादी की कृषि खातेदारी में दर्ज मौजा सुखवाडा प0ह0 सुखवाडा के साबिक आराजी नम्बर 494 रकबा 2 बीघा के नवीन आ.नं. 639 रकबा 0.12 हैक्टेयर, आ.नं. 640 रकबा 0.17 हैक्टेयर, आ.नं. 641 रकबा 0.20 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.49 हैक्टेयर बनाये गये। सेटलमेंट कार्यवाही में वादी को साबिक रकबे को विलोपित करते हुए नक्शा ट्रेस में परिवर्तन कर दिया गया। जिसे पुनः वर्तमान नक्शा ट्रेस में आ.नं. 640 के स्थान पर आ.नं. 639 एवं आ.नं. 639 के स्थान पर आ.नं. 640 कमीश्नर रिपोर्ट में प्रस्तावित नक्शे ट्रेस अनुसार शुद्धि किये जाने का आदेश दिया जाता है। एवं प्रतिवादी सं. 07 उदयलाल पिता रामचन्द्र धाकड निवासी सुखवाडा को खरीदशुदा आराजी नं. 640 रकबा 0.17 हैक्टेयर में से 2/17 हक हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में अमलदारामद किया जावें। इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब हो।

निर्णय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौडगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner